न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

नु.न. 318/18

सरकार बनाम श्रीः-- कजोड़ S/o सुगनलाल

जाति - मीना नि० कालीन

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 27.2.18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री --कजोड़--पुत्र श्री--सुगनलाल--जाति मीना निवासी कालीन-- तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रबि / खरीफ मे ग्राम कालीन--की राजकीय आराजी खसरा नं. 331-- रकबा 14.98--किस्म--गैरमुमकिन--भूमि से 0.02--रकबा पर अनाधिकृत रूप से--[illegible]--कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनिसम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.88--का 50--गुना 44 रु.--राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

तहसीलदार

महवा जिला दौसा

रजिस्टर ... पेज नं. 27 ... पर
वर्ष 2017-18 ... पी०...
की ...
की ... 4452
दिनांक 5/3/18 ... लेखाकार
तहसील-महवा